प्रकरण संख्या 59 / 2019 RCMS ID-2019 / 00227 ता0रजू 20.09.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

मेघसिंह पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर निवासी कुम्हेरपुर तहसील मासलपुर जिला करौली
— अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मासलपुर जिला करौली — रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 21.08.2019 न्यायालय तहसीलदार मासलपुर मुकदमा उनवानी सरकार बनाम मेघसिंह मुकदमा नं. 09 / 2019 धारा 91 एल.आर.एक्ट जिसकी रूह से अपीलाण्ट को 3 माह के सिविल कारावास व पैनल्टी से दण्डित किया गया है के तहत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक 27.11.2019

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कुम्हेरपुर की आराजी खसरा नंबर 196 / 1 रकबा 02 विस्वा किस्म गै.मु. सिवायचक भूमि पर दौगुना पक्का मकान बनाकर एवं पक्के मकान में शराब का ठेका खोलकर अतिक्रमण करने की पटवारी रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि करने पर तहसीलदार मासलपुर द्वारा प्रकरण संख्या 09 / 2019 में पारित निर्णय दिनांक 21.08. 2019 के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि निर्णय दिनांक 21.08.2019 न्यायालय तहसीलदार मासलपुर अधीनस्थ न्यायालय खिलाफे कानून रूहेदाद मिसल, पूर्णतया आरविट्रेरी, परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट, विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जैर अपील निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से अपीलाण्ट को कोई जिरह का अवसर नहीं देकर जैर अपील निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए विधि विरूद्ध रूप से पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस में पूर्व प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट का मुकदमा नम्बर व निर्णय की तारीख एवं कोई बेदखली रिपोर्ट पत्रावली में प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं करायी गयी है नाही धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस में दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट के विरूद्ध पश्चात्वर्ती अतिक्रमण विधि अनुसार साबित नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानने में एवं अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करने में कानूनी भूल की है और जैर अपील निर्णय विधि प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है और पत्रावली पुनः सुनवाई को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट गरीब, अन्य पिछडा वर्ग का भूमिहीन व्यक्ति है अपीलाण्ट के पास उक्त भवन के अलावा अन्य रिहायशी भवन नहीं है भूमि सिवायचक है जो ग्रामीण अचल में स्थित है जिसका वैश्य कीमति होने का कोई प्रश्न नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील विधि विरूद्ध पारित किया है जो

निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि ग्राम कुम्हेरपुर की आराजी खसरा नंबर 196/1 रकबा 02 विस्वा किस्म गै.मु. सिवायचक भूमि पर दौगुना पक्का मकान बनाकर एवं पक्के मकान में शराब का ठेका खोलकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा की गई जिसकी पुष्टि भू–अभिलेख निरीक्षक वृत द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि की गई। प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु अवसर दिया गया। अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर अतिक्रमण होना स्वीकार किया एवं अतिक्रमण को स्वयं हटा लेने बाबत् 07 दिवस का समय चाहा गया था जो दिया गया था। 07 दिन उपरांत पटवारी हल्का से अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण हटा लेने बाबत् रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। इस पर अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय दिनांक 21.08.2019 पारित किया गया जो पूर्णतया विधिसम्मत है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा सरकारी सिवायचक भूमि पर मकान बनाकर एवं मकान में शराब ठेका खोलकर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि किये जाने पर अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था जिसमें सुनवाई हेतु अपीलार्थी को समुचित अवसर दिया गया है। अपीलार्थी स्वयं अदालत मातहत में उपस्थित हुआ है और अतिक्रमण होना स्वीकार कर लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अतिक्रमण हटा लेने बाबत् समय भी चाहा गया है। न्यायालय मातहत द्वारा अपीलार्थी को अतिक्रमण हटा लेने बाबत् पर्याप्त समय भी प्रदान किया गया है। फिर भी अपीलार्थी द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाना, अपीलार्थी की बदयान्ति को दर्शाता है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.08.2019 में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील तथ्यहीन, सारहीन व आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.08.2019 यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.12.06 17:04:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: